राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3505/2025

छोटे लाल मईडा

–अपीलार्थी

बनाम

अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.07.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर कुमार गुप्ता, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भावना फाली चनार ब्लॉक आबूरोड, सिरोही में कार्यरत हैं। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान उसके गृह निवास से करीब 400 कि.मी. दूर है एवं अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है। अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में पीपलखूट, प्रतापगढ़ में कार्यरत है। अपीलार्थी के वृद्ध माता–पिता है, जो अक्सर बीमार रहते है एवं छोटे बच्चे है, जो अध्ययनरत है। ऐसे में परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उनका कथन है कि ब्लॉक पीपलखूट, जिला प्रतापगढ़ में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–1 के काफी पद रिक्त है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में होने पर उन्हें यथासंभव आस–पास पदस्थापित रखा जावे। उक्त संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 09.01.2025 को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सिविल

अपील 12143/2023 डॉ0 एस.के. नौशाद रहमान बनाम भारत संघ के निर्णय पेरा संख्या 451 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य की नीति में कार्मिक की पारिवारिक सुरक्षा को गरीमा का अभिन्न अंग मानते हुए उस पर विचार किया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष